राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

क्रमांक–जीएनएम/प्रशिक्षण/2009/ 650 दिनांक–23.12.2009

जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु तृतीय काउन्सलिंग

इस निदेशालय की प्रवेश विज्ञप्ति दिनांक 11.5.2009 के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी/जांच के पश्चात पात्र अभ्यार्थियों को आरक्षण की श्रेणीवार जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण सत्र 2009–10 में द्वितीय काउन्सलिंग के बाद राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूल्स में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु तृतीय काउन्सलिंग के लिये निम्न श्रेणी/वर्ग के सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजो तथा रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को देय राजकीय केन्द्र मे प्रवेश के लिये 180/– रूपये तथा निजी नर्सिंग सकूल मे प्रवेश के लिये फीस पेटे 10000/– रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु चयन समिति के सम्मुख, **राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, भवन (बी–39 सरदार पटेल मार्ग,** सी स्कीम) जयपुर के यहां निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

श्रेणी /वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दिनांक प्रातः 9 बजे
राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु		
सामान्य महिला (अजा,अजजा अपिव,सामा0) **(मात्र एक सीट)**	बॉयलोजी ग्रुप 66.00 प्रतिशत तक के अजा,अजजा अपिव,सामा संवर्ग के अभ्यर्थी	6.1.2010
ओबीसी महिला **(मात्र तीन सीट)**	बॉयलोजी ग्रुप 65.385 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	
अनुजनजाति महिला(जनजातिय उपयोजना क्षेत्र सहित) **(मात्र पांच सीट)**	बॉयलोजी ग्रुप 52.462 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	
ओबीसी पुरूष **(मात्र एक सीट)**	बॉयलोजी ग्रुप 73.385 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	
निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु		
सामान्य महिला (अजा,अजजा अपिव,सामा0)	बॉयलोजी एवं अन्य विषय ग्रुप मे 40.00 प्रतिशत प्राप्तांक तक के सामान्य संवर्ग के तथा अजा,अजजा अपिव संवर्ग के [illegible]/अन्य विषय ग्रुप में 35.00 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अभ्यर्थी	6.1.2010
सामान्य पुरूष (अजा,अजजा अपिव,सामा)	बॉयलोजी ग्रुप 55.846 प्रतिशत तक प्राप्तांक के अभ्यर्थी	6.1..2010
अन्य पिछडा वर्ग पुरूष अभ्यर्थी	बॉयलोजी ग्रुप मे 50.769 प्रतिशत तक प्राप्ताको के अभ्यर्थी	7.1.2010
अनुसूचित जाति पुरूष	बॉयलोजी ग्रुप 50.00 प्रतिशत तक प्राप्ताको के अभ्यर्थी	7.1.2010
अनुसुचित जनजाति पुरूष ((जनजातिय उपयोजना क्षेत्र सहित)	बॉयलोजी ग्रुप 35.00 प्रतिशत तक प्राप्ताकों के अभ्यर्थी	7.1.2010

अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र छः माह से ज्यादा अवधि का नही होना चाहियें। आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी का पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के नाम का नही।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उक्त तालिका में दर्शित प्राप्तांक प्रतिशत तक प्रथम काउन्सलिंग में चयनित अभ्यर्थियों से उपर के प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे हो या आवंटन हो जाने के बाद ज्वाईन नही किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिये प्रतीक्षा सूची का प्रथम काउन्सलिंग में विकल्प दिया हो ऐसे अभ्यर्थी ही तृतीय काउन्सलिंग मे उपस्थित होवें। **राजकीय केन्द्रो पर वर्तमान मे मात्र 10 सीटे ही रिक्त है।** इसी प्रकार निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिये उपरोक्त प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले ऐसे अभ्यर्थी भी जो प्रथम/द्वितीय काउन्सलिंग मे अनुपस्थित रहे हो या आवंटित केन्द्र पर ज्वाईन नहीं किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिये विकल्प दिया हो तृतीय काउन्सलिंग में प्रवेश पा सकेगें।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16.1.91 के नियम 8(5) के अनुसार जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है और अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्थान पर ही प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है। अतः प्रथम एवं द्वितीय काउन्सलिंग में प्रवेशित जिन अभ्यार्थियों ने अपने आवंटित निजी केन्द्रों पर ज्वाईन कर लिया है उन्हें तृतीय काउन्सलिंग मे अनुमति देय नही होगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी तृतीय काउन्सलिंग मे उपस्थित नही होवे।

रा0मा0शि0बोर्ड अजमेर द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशिका/दिशा निर्देशों में जिन बोर्ड/संस्थान को समकक्ष मान्यता नहीं है, ऐसे बोर्ड /संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं है, इसलिये काउन्सलिंग हेतु उपस्थित नहीं होवें।

(बी0के0दोसी)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशि0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।